राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–326/2008

ऋषभ चंद जैन **–अपीलार्थी**

बनाम

निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, वित्त भवन, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र जैन, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रत्यर्थी द्वारा राज्य सेवा में लेखाकार के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लेखाकार (सीधी भर्ती) परीक्षा, 1976 में उत्तीर्ण एवं चयनित होने पर आदेश दिनांक 11.10.1977 द्वारा की गई थी। अपीलार्थी ने इस आदेश की पालना में दिनांक 08.11.1977 को अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। प्रत्यर्थी ने दिनांक 02.01.1986 के ज्ञापन के माध्यम से अपीलार्थी को एक आरोप पत्र दिया था। आरोप पत्र पर बिना कोई जांच किये ही अपने आदेश दिनांक 27.08.1987 द्वारा अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 27.08.1987 को सेवा से बर्खास्त किये जाने के आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय अति.सिविल न्यायाधीश (क.ख.) क्र.2, जयपुर नगर, जयपुर के समक्ष एक दीवानी वाद दायर किया। दीवानी वाद एवं अपील में निर्णय होने के पश्चात प्रत्यर्थी ने दिनांक 12.12.1997 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को समस्त लाभ सहित पुनः राज्य सेवा में लिये जाने के आदेश पारित कर दिये। प्रत्यर्थी ने अपने आदेश क्रमाक 1506 दिनांक 02.02.1998 क द्वारा अपीलर्थी का मूल सेवाभिलेख प्राप्त न होने के कारण अपीलार्थी को दिनांक 27.08.1987 को लेखाकार का न्यूनतम वेतन देते हुए व उसके आधार पर अपीलार्थी का वेतन निर्धारण करते हुए वेतन भुगतान के आदेश जारी किये। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को मिलने वाले लाभ यथा स्थायीकरण पदोन्नति व वरिष्ठता आदि नहीं दिये है, जिसके लिए अपीलार्थी पृथक से अपील दायर कर रहा है। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से पूर्वाग्रह ग्रसित होने के कारण अपीलार्थी को न तो पदोन्नति

का लाभ दिया है और न ही चयनित वेतनमान का लाभ दिया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार लाभ न दिये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष एक अपील दायर की इस अपील में माननीय अधिकरण ने दिनांक 03.10.2002 को एक आदेश पारित किया।

2. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील 1563/2001 में आदेश दिनांक 03.10.2002 को अपील का निस्तारण इस प्रकार किया गया था :–

> ''अपीलार्थी अपने सेवाकाल की स्थिति को दर्शाते हुए वह उसे अब तक नहीं प्राप्त लाभों के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन अपने विभाग के सक्षम अधिकारी को एक माह की अवधि में प्रस्तुत करें, जिस पर प्रत्यर्थी पक्ष के सम्बन्धित अधिकारी समुचित आदेश पारित करे और यदि समुचित आदेश पारित करने के लिये वित्त विभाग अथवा अन्य किसी विभाग से सलाह लेना अनिवार्य हो तो वह भी प्राप्त करें तथा फिर उसके उपरान्त अपने विवेक से अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से यथासंभव तीन माह की अवधि में आदेश पारित करें।''

3. उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर आदेश दिनांक 04.02.2008 (अनुलग्नक–ए/6) पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी को चयनित वेतनमान देय नहीं होना व उपार्जित अवकास समर्पण के बदले नकद उपलब्ध नहीं होना माना गया। उक्त आदेश के संबंध में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन अंकित किया गया है कि वित्त विभाग के पत्र दिनांक 26–3–2002 एवं 26–11–2007 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अपीलार्थी द्वारा ना तो प्रशिक्षण पूर्ण किया गया है और ना ही विभागीय परीक्षा पास की गयी है। अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम 16 के तहत चार जांच लम्बित है, चयनित वेतनमान पदोन्नति के अभाव में दिया जाता है । अतः विभागीय परीक्षा उत्तीण न करने व जांच लम्बित होने के कारण अपीलार्थी को चयनित वेतनमान देय नहीं है। ब्लॉक वर्ष 90–92, 92–94, 94–96 व 96–98 के लिए उपार्जित अवकाश के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि उपार्जित अवकाश समर्पित करने पर देय नकद वेतन भुगतान सम्बन्धित ब्लाक वर्ष में ही किया जा सकता है । यदि किसी कारणवश सम्बन्धित ब्लॉक वर्ष में उपार्जित अवकाश समर्पित करने पर देय वेतन का भुगतान नहीं होता तो ब्लॉक वर्ष समाप्त होने के पश्चात् ऐसा भुगतान नहीं हो है। अतः ब्लॉक वर्ष 90–92, 92–94, 94–96 व 96–98 समाप्त हो जाने के कारण अपीलार्थी को सम्बन्धित ब्लॉक वर्षो में उपार्जित अवकाश समर्पण के बदले नकद भुगतान नियमानुसार देय नहीं है।

5. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 11.01.1977 के द्वारा हुई थी, जो नियुक्ति अस्थायी दी गई थी। उक्त नियुक्ति आदेश मे यह शर्त थी कि राजस्थान अधिनस्थ लेखा सेवा नियम–1963 के नियम–32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
6. उक्त नियुक्ति आदेश के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रशिक्षण पुरा नहीं किया गया और विभागीय परीक्षा पास नहीं की गयी। इसके अलावा अपीलार्थी की चार जांच लम्बित होना पाया गया है। इस कारण से अपीलार्थी को चयनित वेतनमान देय नहीं होना माना गया है। जिसमें कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। जहां तक उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान का प्रश्न है, उपार्जित अवकाश के सम्बन्ध में जो अभ्यावेदन आदेश दिनांक 04.02.2008 के द्वारा निर्णित किया गया है। उसमें कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है।
7. परिणामस्वरूप अपील में कोई बल नही होने से अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)